

महिलाओं के लिये जमानत संबंधी प्रावधान

प्रलिस के लिये:

CRPC में जमानत का प्रावधान, जमानत के प्रकार ।

मेन्स के लिये:

महिलाओं के मामले में गरिफ्तारी की प्रक्रिया, CRPC और इसके प्रावधान, जमानत के प्रकार ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि "अपीलकर्ता (तीस्ता) को इस तथ्य सहित कि अपीलकर्ता एक महिला है, असाधारण तथ्यों में अंतरिम जमानत की राहत दी जाती है" ।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में जमानत प्रावधान का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि "एक महिला होने के नाते जमानत देने का एक संभावित आधार है, भले ही अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।"

महिलाओं के लिये जमानत संबंधी उपलब्ध प्रावधान:

■ अपराधिक प्रक्रिया संहिता:

- CRPC की धारा 437 गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत से संबंधित है । इसके अनुसार, व्यक्तिको जमानत पर रखा नहीं किया जाएगा यदि:
 - यह मानने का उचित आधार है कि उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है; या
 - उसे पहले मौत, आजीवन कारावास, या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये दंडनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है; या
 - उसे दो या दो से अधिक अवसरों पर अन्य अपराधों में तीन से सात वर्ष के बीच की अवधि के साथ दोषी ठहराया गया है ।
- हालाँकि, CRPC की धारा 437 में अपवाद भी शामिल हैं जैसे कि न्यायालय इन मामलों में भी जमानत दे सकती है, अगर ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र का है या महिला है या बीमार या कमजोर है ।

■ अन्य प्रावधान:

- जब एक पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्तिकी उपस्थितिकी आवश्यकता होती है जिसे वह मानता है कि जाँच के तहत मामले से परिचित है, तो उस व्यक्तिको अधिकारी (धारा 160) के सामने पेश होना पड़ता है ।
 - हालाँकि किसी भी महिला को अपने नविस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
 - वर्ष 1980 और 1989 में अपनी 84वीं और 135वीं रिपोर्ट में, वधिआयोग ने सुझाव दिया कि 'स्थान' शब्द अस्पष्ट है, और इसे 'नविस स्थान' में संशोधित करना बेहतर होगा ।

महिलाओं की गरिफ्तारी पर CRPC के प्रावधान:

■ गरिफ्तारी की प्रक्रिया:

- एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्तिको गरिफ्तार कर सकता है जिसने न्यायिक आदेश या वारंट के बिना संज्ञेय अपराध किया है । (धारा 41)
 - यदि व्यक्तिको पुलिस की कहने या कार्रवाई के आधार पर वह गरिफ्तारी नहीं देता है, तो धारा 46 पुलिस अधिकारी को गरिफ्तारी को प्रभावी करने के लिये व्यक्तिको शारीरिक रूप से सीमति करने में सक्षम बनाती है ।
 - वर्ष 2009 में CrPC में इस आशय से एक प्रावधान जोड़ा गया कि जब किसी महिला को गरिफ्तार किया जाना हो तो, केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही महिला को छु सकती है, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ न हों ।

- वर्ष 2005 में एक संशोधन के माध्यम से, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले एक महिला की गरिफ्तारी पर रोक लगाने के लिये धारा 46 में एक उपधारा जोड़ी गई।
 - असाधारण परिस्थितियों में गरिफ्तारी के लिये एक महिला पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकती है।
- **गैर-उपस्थिति के मामलों में:**
 - पुलिस ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश की मांग कर सकती है जहाँ संदेह हो कि जिस व्यक्ति को गरिफ्तार किया जाना है, वह वहाँ मौजूद है।
 - इस धारा में यह माना गया है कि पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो भी गरिफ्तारी वारंट नुबिपादित कर रहा है, को पता चलता है कि जिस परिसर की तलाशी ली जानी है, वह महिलाओं का मूल नविस सथान है, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से पता नहीं होता है। तो ऐसा पुलिस अधिकारी या व्यक्ति तलाशी शुरू करने से पहले उस महिला को तलाशी रद्द करने के अधिकार के बारे में एक नोटिस जारी करेगा। (धारा 47 का प्रावधान)।
 - इसमें यह भी जोड़ा गया है कि वे परिसर में प्रवेश करने एवं उसे गरिफ्तार कर वापस लाने के दौरान उचित सुविधा प्रदान करेंगे।
 - एक अन्य अपवाद के तहत में एक महिला जो मानहानि का मामला दर्ज करने का इरादा रखती है, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होना चाहती है, वह अपनी ओर से किसी और को शिकायत दर्ज करने के लिये कह सकती है।

गरिफ्तारी से संरक्षण हेतु भारत में संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 22:**
 - भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 22** गरिफ्तार या हरिसत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
 - **हरिसत दो प्रकार की होती है:**
 - दंडात्मक नरिोध।
 - नवारक नरिोध।
 - **दंडात्मक नरिोध** के तहत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध के लिये न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित करना है।
 - **दूसरी ओर, नवारक नरिोध** का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के हरिसत में रखना।
 - अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग **साधारण कानून** के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग **नवारक नरिोध कानून** के मामलों से संबंधित है।

दंडात्मक नजरबंदी के तहत प्रदान अधिकार	नवारक नरिोध के तहत प्रदान अधिकार
<ul style="list-style-type: none"> ■ गरिफ्तारी के आधार के वषिय में सूचित करने का अधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ किसी व्यक्ति की नजरबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड वसितारति नजरबंदी के लिये पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता है। ■ बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ■ वधि व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ नजरबंदी के आधारों के वषिय में नजरबंद व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिये। ■ तथापि, जनहति के वरिद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
<ul style="list-style-type: none"> ■ यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ हरिसत में लिये गए व्यक्ति को नरिोध आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करना चाहिये।
<ul style="list-style-type: none"> ■ 24 घंटे के बाद रहि होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट, हरिसत को जारी रखने के लिये अधिकृत नहीं करता। 	-----
<ul style="list-style-type: none"> ■ ये सुरक्षा उपाय किसी वदिशी शत्रु के लिये उपलब्ध नहीं हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ वदिशियों के लिये भी उपलब्ध है।

जमानत और उसके प्रकार:

- **जमानत :**
 - जमानत कानूनी हरिसत में रखे गए व्यक्ति की सशर्त/अनंतमि रहि है (ऐसे मामलों में जो अभी तक न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने हैं) और जब भी आवश्यक हो, न्यायालय में पेश होने का वादा करके यह रहि है हेतु न्यायालय के समक्ष जमा की गई सुरक्षा/संपार्षविक (Collateral) का प्रतीक है।
- **जमानत के प्रकार:**
 - **नयिमति जमानत:**
 - यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रहि करने का नरिदेश है जो पहले से ही गरिफ्तार किया गया है और पुलिस हरिसत में रखा गया है।
 - ऐसी जमानत के लिये व्यक्ति **CrPC की धारा 437 और 439** के तहत आवेदन कर सकता है।

- अंतरिम जमानत:
 - न्यायालय द्वारा एक अस्थायी और अल्प अवधि के लिये जमानत दी जाती है जब तक कि अग्रिम जमानत या नयिमति जमानत की मांग करने वाला आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित न हो।
- अग्रिम जमानत:
 - किसी व्यक्ति को गरिफ्तार किये जाने से पहले ही जमानत पर रद्दि करने का नरिदेश जारी कयिा जाता है।
 - ऐसे में गरिफ्तारी की आशंका बनी रहती है और जमानत मलिनसे से पूरव व्यक्ति को गरिफ्तार नहीं कयिा जाता है।
 - ऐसी जमानत के लयिे कोई व्यक्ति CrPC की धारा 438 के तहत आवेदन दाखलि कर सकता है।
 - यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी कयिा जाता है।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/bail-for-women>

